03-08-2026

अभियुक्तगण नागी राय एवं कांग्रेस राय की हाजरी है। पुकार पर अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त नागी राय के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 एवं अभियुक्त कांग्रेस राय एवं नागी राय के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379, 504 दोनो सपिठत धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 02.05.2026 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान मात्र एक अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 भगवती देवी, जो इस मामले की परिवादिनी है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **अभियुक्तगण उसके देवर है, इसलिये पहचानती हूं। अभियुक्तों से जमीनी विवाद था। वह अपनी सास, जिनका देहांत हो चुका है, के बहकावे में यह मुकदमा की थी। जमीनी विवाद निपट गया है और अभियुक्तो से सुलह हो गया है।** अतः अभियुक्तो को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान करने की कृपा की जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। इस मामले में मात्र एक अभियोजन साक्षी का साक्ष्य हुआ। अभियोजन साक्षी संख्या 1 भगवती देवी, जो इस मामले की परिवादिनी है, ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **अभियुक्तगण उसके देवर है, इसलिये पहचानती हूं। अभियुक्तों से जमीनी विवाद था। वह अपनी सास, जिनका देहांत हो चुका है, के बहकावे में यह मुकदमा की थी। जमीनी विवाद निपट गया है और अभियुक्तो से सुलह हो गया है।** अतः उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण, जो न्यायालय में उपस्थित है, की जांच की, अपनी जांच में उन्होनें कहा कि वे निर्दोष है। अतः अभियुक्तगण को द0प्र0सं0 की धारा 232 के अंतर्गत इस मामले में लगे आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है, इन्हे तथा इनके जमानतदारों को भी बंध पत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।